न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 93 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 पृथ्वीसिंह 2 मदनसिंह पिसरान देवीसिंह 3 गजेसिंह 4 जबरसिंह पिसरान सरूपसिंह 5 कंवरबाई पत्नी सरूपसिंह 6 जुझारसिंह 7 पृथ्वीसिंह 8 सुमेरसिंह पिसरान सगतसिंह 9 चतरसिंह पुत्र रायसिंह 10 लखसिंह 11 अवतारसिंह पिसरान हड़वन्तसिंह 12 अमरसिंह पुत्र दौलतसिंह 13 भोजराजसिंह 14 नरपतसिंह 15 बागसिंह पिसरान आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ी खुर्द, जसाई तहसील व जिला बाड़मेर		1 तहसीलदार बाडमेर बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री डुंगरसिंह महेचा, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. पैराकार सरकार

आदेश

दिनांक 25/08/2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा मीठड़ी खुर्द पटवार हल्का जसाई तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 193 / 39 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 194 / 39 रकबा 60 बीघा. खसरा नम्बर 200 / 75 रकबा 12.03 बीघा, खसरा नम्बर 104 (वर्तमान खसरा नम्बर 335 / 104, 334 / 104, 332 / 104) रकबा 158.10 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेन्टलमेंट के समय प्रार्थीगण के पूर्वज मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह व अन्य सहखातेदार का कब्जा था जिस कारण वक्त सेन्टलमेंट के उक्त भूमि का पर्चा लगान मेहताबसिंह के स्थान पर सेन्लटमेंट अधिकारियों की भूल से गजालसिंह पुत्र कलसिंह नाम दर्ज कर दिया तथा उसके बाद संधारित चौसाला जमाबंदीयां में भी कहीं पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर गजालसिंह पुत्र कलसिंह दर्ज करते आ रहे है जबकि प्रार्थीगण के पूर्वज का वास्तविक नाम मेहताबसिंह ही है। उक्त भूमि में वास्तविक नाम मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह ही दर्ज करना चाहिये था। वर्तमान में प्रार्थीगण के पूर्वज मेहताबसिंह के फौत होने पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया क्योंकि प्रार्थीगण के दस्तावेज मेहताबसिंह के नाम से बने हुऐ है जबकि राजस्व रेकर्ड में गजालसिंह दर्ज है जिस कारण मेहताबसिंह के स्थान पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हुऐ है। प्रार्थीगण के नाम से बने हुए आधार कार्ड में उनकी वल्दियत मेहताबसिंह दर्ज है जो सही दर्ज है परन्तु उक्त खाते में प्रार्थीगण की सही वल्दियत अंकित न होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि ऋण आदि लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिस कारण प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अपनी वल्यित सही करवाने के अधिकारी है जिस हेतु यह आवेदन पेश है। प्रार्थीगण के पिता एक ग्रामीण

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

व्यक्ति थे जिन्हें उक्त गलत इन्द्राज के बारे में कोई ज्ञान नहीं था तथा अरसा दो माह पूर्व जब प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल लेकर ऋण हेतु आवेदन करना चाहा तो प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज के बारे में ज्ञान होने पर यह आवेदन पेश किया गया है। उक्त नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मौजा मीठडी खुर्द पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 193/39 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 194/39 रकबा 60 बीघा, खसरा नम्बर 200/75 रकबा 12.03 बीघा, खसरा नम्बर 104 (वर्तमान खसरा नम्बर 335/104, 334/104, 332/104) रकबा 158.10 बीघा में प्रार्थीगण की वल्दियत को दुरस्त करते हुऐ प्रार्थीगण के पूर्वज के रूप में अंकित गजालसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह दुरस्त करते हुऐ राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर को जरिये नोटिस तलब कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भूअ/2025/1513 दिनांक 09.06.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा मीठडी खुर्द पटवार क्षेत्र जसाई खसरा नम्बर 193/39, 194/39, 200/75, 334/104, 335/104, 332/104 में दर्ज नाम गजालसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके अनुसार प्रार्थी पृथ्वीसिंह के दादा व अन्य परिवार प्रारम्भ से ही ग्राम तारातरा तहसील चौहटन निवासी है। उक्त परिवार भू–प्रबन्ध के समय जागीरदार थे, जिनके खुदकाश्त के रूप में मिसल बंदोबस्त में उक्त भूमि दर्ज हुई थी। मिसल बन्दोबस्त ग्राम मीठड़ी के खाता सं0 65 में गजालसिंह वल्द कलसिंह का नाम बतोर जागीरदार (खुदकाश्त) में दर्ज है। उपस्थितान ने बताया कि पूर्व जागीरदार कलसिंह के दो पुत्र कौशलसिंह व मेहताबसिंह ही थे। बन्दोबस्त के समय कलसिंह जीवित नहीं होने से उनके वारिशान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए थे, स्व0 कलसिंह के गजालसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं होना बताया तथा गजालसिंह पुत्र कलसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति भी होना नहीं पाया गया। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट गजालसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील [illegible] द्वारा तहसीलदार बाडमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की वल्दियत [illegible] किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2069–2072, मिसल बन्दोबस्त एवं अन्य राजस्व अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा मीठडी खुर्द पटवार क्षेत्र जसाई खसरा नम्बर 193/39, 194/39, 200/75, 334/104, 335/104, 332/104 में दर्ज नाम गजालसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

अनुसार प्रार्थी पृथ्वीसिंह के दादा व अन्य का परिवार प्रारम्भ से ही ग्राम तारातरा तहसील चौहटन निवासी है। मिसल बन्दोबस्त ग्राम मीठड़ी के खाता सं0 65 में गजालसिंह वल्द कलसिंह का नाम बतोर जागीरदार (खुदकाश्त) में दर्ज है। उपस्थितान ने बताया कि पूर्व जागीरदार कलसिंह के दो पुत्र कौशलसिंह व मेहताबसिंह ही थे। बन्दोबस्त के समय कलसिंह जीवित नहीं होने से उनके वारिशान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए थे, स्व0 कलसिंह के गजालसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं होना बताया तथा गजालसिंह पुत्र कलसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति भी होना नहीं पाया गया। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट गजालसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। लिहाजा मौजा मीठडी खुर्द पटवार क्षेत्र जसाई खसरा नम्बर 193/39, 194/39, 200/75, 334/104, 335/104, 332/104 में दर्ज नाम गजालसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मीठडी खुर्द पटवार क्षेत्र जसाई खसरा नम्बर 193/39, 194/39, 200/75, 334/104, 335/104, 332/104 में दर्ज नाम गजालसिंह पुत्र कलसिंह के स्थान पर मेहताबसिंह पुत्र कलसिंह दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 25/08/2025 को आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर